R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 10
अप्रैल 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 को अधिसूचित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के प्रावधान 1 अप्रैल 2007 को लागू होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा (i) में किये गये संशोधन से कुल मांग तथा मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षा समाप्त हो जाती है। रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए किसी सांविधिक न्यूनतम दर अथवा उच्चतर दर के बिना ही सीआरआर निर्धारित कर सकता है।

रिज़र्व बैंक ने अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी जानेवाली सीआरआर की दर तथा वर्तमान छूटों के संबंध में यथास्थिति जारी रखी जाए तथा भावी परिवर्तन की अधिसूचना तक यह स्थिति लागू रहेगी । तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंक नीचे दिए गए वर्तमान छूट के अधीन अपनी कुल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर सीआरआर बनाए रखना जारी रखेंगे :

लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)	निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)
14 अप्रैल 2007	6.25
28 अप्रैल 2007	6.50

रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि -

- किसी रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात का आधार अबतक निवल माँग और मीयादी देयताओं का संबंध आनेवाले दूसरे पखवाड़े के रिपोर्टिंग शुक्रवार से होता था।
- बैंकों से अपेक्षित है कि वे जैसा कि वर्तमान में होता है, पखवाड़े के दौरान दैनिक आधार पर किसी पखवाड़े के लिए अपेक्षित औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात की राशि के न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि बनाए रखें।
- संशोधन के अनुरूप, 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेषों पर रिज़र्व बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।

वायर अंतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी सीमा पार/देशी वायर अंतरणों के साथ निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी जाए:

सीमा पार वायर अंतरण

(क) सभी सीमा पार वायर अंतरणों के साथ सटीक और सार्थक प्रवर्तक संबंधी सूचना हो।

(ख) सीमा पार वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा प्रवर्तक का खाता जहाँ खाता हो, की सूचना दी जानी चाहिए। खाता न होने की स्थिति में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या अवश्य दी जानी चाहिए जो संबंधित देश में प्रचलित हो।

(ग) जहां किसी एकल प्रवर्तक से कई अलग-अलग अंतरण एक बैच फाइल में इकट्ठे कर दूसरे देश में लाभार्थियों को प्रेषित किये जाते हैं, वहां उन्हें पूर्ण प्रवर्तक संबंधी सूचना शामिल करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनमें प्रवर्तक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या शामिल हो।

विषय सूची

पृष्ठ

नीति

आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना 1
वायर अंतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश 1
चेकों का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन 2
वायर अंतरण 2

ग्राहक सेवा

एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा 3
सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा 3

देशी वायर अंतरण

(क) रु. 50,000/- और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना अर्थात् नाम, पता और खाता संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब लाभार्थी बैंक को अन्य माध्यमों से प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हो।

(ख) यदि किसी बैंक के पास यह मानने का कोई कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर सूचना देने या निगरानी से बचने के उद्देश्य से रु. 50,000/- से कम के विभिन्न लाभार्थियों को वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को उक्त अंतरण्जोर देना चाहिए। यदि ग्राहक सहयोग न दें तो उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू - आइएनडी) को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दी जानी चाहिए।

(ग) जब धन के अंतरण के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तब संदेश में प्रवर्तक की पूर्ण जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

छूट

जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों बैंक या वित्तीय संस्थाएं हों वहां अंतर बैंक अंतरणों और निपटानों को उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट होगी।

आदेशकर्ता/मध्यवर्ती/लाभार्थी बैंकों की भूमिका

आदेशकर्ता बैंक

आदेशकर्ता बैंक वह है जो अपने ग्राहक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार वायर अंतरण का प्रवर्तन करता है। आदेशकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वायर अतरणों में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना हो। बैंक को सूचना का सत्यापन करना चाहिए तथा उसे कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखना चाहिए।

मध्यवर्ती बैंक

सीमा पार तथा देशी वायर अंतरणों दोनों के लिए वायर अंतरणों की श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व की प्रोसेसिंग करनेवाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायर अंतरण के साथ दी गयी समस्त प्रवर्तक सूचना अंतरण के साथ बनाये रखी जाती है। जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा पार के वायर अंतरण के साथ दी गयी पूर्ण प्रवर्तक सूचना संबंधित देशी वायर अंतरण के साथ बनायी रखी नहीं जा सकती, वहां प्रवर्तक बैंक से प्राप्त सभी सूचना का प्राप्तकर्ता मध्यवर्ती बैंक द्वारा कम-से-कम 10 वर्ष (जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

लाभार्थी बैंक

लाभार्थी बैंक में कारगर जोखिम आधारित क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे पूर्ण प्रवर्तक सूचना रहित वायर अंतरणों का पता लगाया जा सके। पूर्ण प्रवर्तक सूचना के अभाव को कोई वायर अंतरण या संबंधित लेनदेन संदिग्ध है या नहीं तथा उसकी सूचना फाइनेंशल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण करने के तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि लेनदेन के साथ निधियों के प्रेषक की विस्तृत सूचना नहीं दी गयी है तो लाभार्थी बैंक को आदेशकर्ता बैंक के साथ भी मामले को उठाना चाहिए । यदि आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के संबंध में सूचना नहीं देता तो लाभार्थी बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ अपने कारोबारी संबंध को सीमित या समाप्त कर देने तक पर विचार करे।

ये दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अधीन जारी किये जा रहे हैं तथा इनके किसी भी उल्लंघन के लिए इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अधीन दंड लागू होगा।

चेकों का निकटतम रुपये तक पूर्णांकन

रिज़र्व बैंक ने अपने पहले के अनुदेशों को दोहराते हुए फिर एक बार बैंकों को यह सुनिश्चित करने के सूचित किया है कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों में रुपये का अंश हो तो उसे अस्वीकृत या अनादृत नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को इस संबंध में अपनी कार्यपद्धति की समीक्षा करनी चाहिए तथा आंतरिक परिपत्र आदि जारी कर आवश्यक कदम उठाते हुए संबंधित स्टाफ को इन अनुदेशों से भली-भाँति परिचित करना चाहिए। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जिन्होंने आंखिक रुपये वाले चेकों/ड्राफ्टों को लेने से इन्कार किया है।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधनों के अंतर्गत दंड के लिए पात्र होंगे।

यह ज्ञात होगा कि *जमाराशियों पर ब्याज* दरें विषय पर 1 जुलाई 2006 के अपने मास्टर परिपत्र जिसके द्वारा रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया गया था कि जमाराशियों पर ब्याज भुगतान/अग्रिमों पर ब्याज प्रभार सहित सभी लेनदेन निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किये जाने चाहिए अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक की आंशिक राशि अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित की जानी चाहिए और 50 पैसे से कम की राशि को गणना में शामिल नहीं करना चाहिए। यह भी सूचित किया गया था कि नकदी प्रमाणपत्र का निर्गम मूल्य भी इसी प्रकार पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

वायर अंतरण

वायर अंतरण बैंक खातों के बीच निधियों के त्वरित और सुरक्षित अंतरण की प्रणाली है।वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये जानेवाले लेनदेन शामिल हैं।

विशेषताएं

- वायर अंतरण एक ऐसा लेनदेन है जिसके द्वारा प्रवर्तक व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी दोनों) की ओर से बैंक के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धन राशि किसी बैंक के किसी लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाती है। प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है।
- सीमा पार अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और लाभार्थी बैंक या वित्तीय संस्था भिन्न देशों में स्थित है। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल हो सकती है जिसमें कम-से-कम एक सीमा पार अंतरण किया गया हो।
- देशी वायर अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित हैं। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला भी शामिल हो सकती है जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर होते हों भले ही वायर अंतरण करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली किसी दूसरे देश में स्थित हो।
- प्रवर्तक खाता धारक या जहां कोई खाता नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी) होता है जो बैंक को वायर अंतरण करने का आदेश देता है।

ग्राहक सेवा

एकल जमा खातों में नामांकन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि जमा खाता खोलते समय जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति को नामांकन भरने के लिए जोर देना चाहिए। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन करने से इन्कार करता है, तो बैंक को उसे नामांकन सुविधा के लाभों को स्पष्ट करना चाहिए। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी नामांकन नहीं करना चाहता है तो बैंक को उसे इस आशय का विशिष्ट पत्र देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देना नहीं चाहता है तो बैंक इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करना चाहिए तथा अन्यथा पात्र होने पर खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई बैंक किसी व्यक्ति द्वारा केवल नामांकन न देने के कारण उसका खाता खोलने से इन्कार नहीं करना चाहिए।

साथ ही, बैंकों को फरवरी 1997 का रिज़र्व बैंक का परिपत्र भी देखना चाहिए जिसमें यह सूचित किया गया था कि नामांकन सुविधा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में धारित जमाराशियों के मामले में भी दी जानी है। यह प्रक्रिया एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जमा खातों के संबंध में लागू है।

सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा

सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) द्वारा लॉकरों के आसान परिचालन के लिए दी गयी कुछ सिफारिशों के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में सभी अनुदेशों की समीक्षा की है और सुरक्षा जमा लॉकरों/वस्तुओं के लिए सुरक्षित अभिरक्षा पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए है। ये दिशानिर्देशों इसके पहले जारी सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हैं।

सुरक्षा जमा लॉकरों

सावधि जमाराशियां रखने पर लॉकरों के आबंटन की संबद्धता

सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित क्रियाविधि और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) ने यह पाया कि लॉकर सुविधा को ऐसी सावधि या कोई अन्य जमाराशि रखे जाने से संबद्ध करना जो विशेष रूप से अनुमत राशि के अतिरिक्त है, एक अवरोधक प्रणाली है जिसे बंद किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया हैं कि वे इस तरह की अवरोध पैदा करनेवाली प्रणालियां न अपनाएं।

सुरक्षा के रूप में सावधि जमा

बैंकों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां लॉकर किराये पर लेने वाले न तो लॉकर परिचालित करते हैं और न ही किराया अदा करते हैं। लॉकर के किराये का तत्पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक, लॉकर आबंटित करते समय एक सावधि जमाराशि प्राप्त करें जो लॉकर का 3 वर्ष का किराया तथा आवश्यकता पड़ने पर लॉकर तोड़कर खुलवाने के प्रभारों को कवर करती हो। तथापि, बैंक विद्यमान लॉकर-किरायेदारों को ऐसी सावधि जमाराशि के लिए आग्रह न करें।

प्रतीक्षा सूची

बैंक शाखाओं को चाहिए कि वे लॉकरों के आबंटन के प्रयोजन के लिए एक प्रतीक्षा सूची तैयार करें और लॉकरों के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। लॉकर आबंटित किए जाने के लिए प्राप्त सभी आवेदनपत्रों को प्राप्ति सूचना भेजी जानी चाहिए और प्रतीक्षा सूची संख्या दी जानी चाहिए।

बैंकों को लॉकर आबंटित करते समय लॉकर के किरायेदार को लॉकर के परिचालन से संबंधित करार की एक प्रति देनी चाहिए।

सुरक्षा

- बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहकों को प्रदान किए गए लॉकरों की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी तथा आवश्यक एहतियात बरतें। बैंकों को अपनी शाखाओं में स्थित सुरक्षा जमा कोष्ठों/लॉकरों के परिचालन के लिए लागू प्रणालियों की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया लिखित रूप में होनी चाहिए और संबंधित स्टाफ को उक्त प्रक्रिया संबंधी उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आंतरिक लेखा-परीक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाता है।
- बैंकों को चाहिए कि वे नए और विद्यमान दोनों ग्राहकों के लिए कम-से-कम मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए विनिर्दिष्ट स्तरों तक ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता बरतें। यदि ग्राहक उच्चतर जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत है तो ऐसी श्रेणी के लिए लागू *अपने ग्राहक को जानिए* (केवाइसी) मानदंडों के अनुसार, ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता बरती जानी चाहिए।
- जहां मध्यम जोखिम श्रेणी के लिए तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए या उच्चतर जोखिम श्रेणी के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए लॉकर का परिचालन नहीं किया जाता है, वहां बैंकों को चाहिए कि वे लॉकर के किरायेदार से तत्काल संपर्क करें और उन्हें सूचित करें कि वे या तो लॉकर परिचालित करें या लॉकर वापस कर दें। यदि लॉकर का किरायेदार नियमित रूप से किराया अदा करता हो तो भी ये कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, बैंकों को लॉकर के किरायेदार से लिखित रूप में कारण देने के लिए कहना चाहिए कि उन्होंने संबंधित लॉकर का परिचालन क्यों नहीं किया। यदि लॉकर के किरायेदार के पास कोई सच्चे कारण हैं - जैसे अनिवासी भारतीयों के मामले में या स्थानांतरणीय नौकरी आदि के कारण शहर के बाहर गये व्यक्तियों के मामले में तो उस स्थिति में बैंक लॉकर के किरायेदार को लॉकर जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं। यदि लॉकर का किरायेदार कोई प्रत्युत्तर नहीं देता और लॉकर भी परिचालित नहीं करता तो बैंक उसे उचित नोटिस देकर लॉकर खोलने पर विचार करें। बैंकों को चाहिए कि वे लॉकर संबंधी करार में एक खंड शामिल करें कि यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए लॉकर परिचालित नहीं किया गया तो लॉकर के आबंटन को रद्द करने और लॉकर खोलने के अधिकार बैंक के पास होंगे, भले ही लॉकर का किराया नियमित रूप से भरा जाता रहा हो।
- बैंकों चाहिए कि वे लॉकरों को तोड़कर खुलवाने और संपत्ति सूची की गणना के लिए अपने विधिक परामर्शदाताओं के साथ परामर्श कर सुस्पष्ट क्रियाविधि तैयार करें।

सुरक्षा जमा लॉकरों तक पहुंच/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं

उत्तरजीवी/नामिती/विधिक वारिसों को

लॉकरों की वस्तुएं/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएं उत्तरजीवी/नामिती/विधिक वारिसों को लौटाने के लिए बैंकों को जमा खातों की आगम राशियों की सुपुर्दगी के संबंध में रिज़र्व बैंक के जून 2005 के परिपत्र में दिए गये निर्देश क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए।

उत्तरजीवी/नामिती खंड सहित

यदि एकल लॉकर किरायेदार किसी व्यक्ति को नामांकित करता है तो बैंकों को एकल किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में ऐसे नामिती को लॉकर तक पहुंच तथा लॉकर की वस्तुओं को निकालने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यदि संयुक्त हस्ताक्षरों के अतर्गत लॉकर के परिचालन के अनुदेशों के साथ लॉकर को संयुक्त रूप से किराये पर लिया गया था तथा लॉकर के किरायेदार (किरायेदारों) ने किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित किया है तो लॉकर के किसी एक किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक को उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) तथा नामिती (नामितियों) को संयुक्त रूप से लॉकर तक पहुंच तथा लॉकर की वस्तुओं को निकालने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यदि लॉकर को उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त रूप से किराये पर लिया गया था तथा किरायेदारों ने अनुदेश दिया था कि ठदो में

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

से किसी एक या उत्तरजीवीड, ठकोई एक या उत्तरजीवीड अथवा ठपहला अथवा उत्तरजीवीड अथवा किसी अन्य उत्तरजीविता खंड के अनुसार लॉकर तक पहुंच दी जाए तो लॉकर के एक अथवा अधिक किरायेदारों की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक को संबंधित अधिदेश का पालन करना चाहिए। लॉकर की वस्तुओं को लौटाने के पूर्व बैंकों को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिएः

(क) उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) की पहचान स्थापित करने में तथा लॉकर के किरायेदार की मृत्यु के तथ्य को समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करके सत्यापित करने के लिए उचित सावधानी तथा सतर्कता बरतनी चाहिए।

(ख) यह जानने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए कि क्या मृत व्यक्ति के लॉकर तक पहुंच देने से बैंक को रोकने वाला किसी सक्षम न्यायालय का आदेश है।

(ग) उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें केवल लॉकर के मृत किरायेदार के विधि वारिसों के न्यासी के रूप में लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं तक पहुंच दी गयी है अर्थात् उन्हें इस तरह प्रदान की गयी पहुंच से उक्त उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) के विरुद्ध किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं की वापसी के लिए बैंको को इसी तरह की क्रियाविधि का पालन करना चाहिए। बैंको को यह भी नोट करना चहिए कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की गयी वस्तुओं के मामले में नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

बैंकों को लॉकर के मृत किरायेदार/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के जमाकर्ता के उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) को पहुंच देते समय बैंकों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र अथवा प्रोबेट आदि प्रस्तुत करने का आग्रह करने अथवा उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) से कोई क्षतिपूर्ति बांड अथवा जमानत प्राप्त करने से बचना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अधीन उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) को दी गयी पहुंच का अर्थ होगा। बैंक की देयता की पूर्ण चुकौती, विधिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आग्रह करना अनावश्यक तथा अवांछित है और उससे उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिती (नामितियों) को असुविधा होती है जिसे टाला जा सकता है और इसलिए उसे पर्यवेक्षीय दृष्टि से अनुचित समझा जाएगा।

उत्तरजीवी/नामिती खंड के बिना

यह अत्यधिक ज़रूरी है कि लॉकर के किरायेदार (किरायेदारों) के विधिक वारिस (वारिसों) को असुविधा तथा अनावश्यक कठिनाई न हो। उस मामले में जहां लॉकर के मृत किरायेदार ने नामांकन नहीं किया है अथवा जहां संयुक्त किरायेदारों ने कोई ऐसे अधिदेश नहीं दिये हैं जिससे एक स्पष्ट उत्तरजीविता खंड द्वारा एक अथवा अधिक उत्तरजीवियों को पहुंच दी जा सके, वहां बैंकों को सूचित किया गया है कि वे लॉकर के मृत किरायेदार के विधिक वारिस (वारिसों)/विधिक प्रतिनिधियों को पहुंच प्रदान करने के लिए अपने विधि परामर्शदाताओं के साथ विचार-विमर्श कर तैयार की गई एक ग्राहक सहायक क्रियाविधि अपनाएं। बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं के मामले में भी समान क्रियाविधि का पालन किया जाए।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी से 45 जेडएफ तथा बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियमावली, 1985 के प्रावधानों और भारतीय संविदा अधिनियम तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के संबंधित प्रावधानों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करें।

बैंकों को मार्च 1985 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में सूचित किए गए अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखी हुई वस्तुओं को वापस करने/सुरक्षित जमा लॉकर की वस्तुओं को निकालने की अनुमति देने से पूर्व एक वस्तु सूची तैयार करनी चाहिए ।

यदि नामिति/उत्तरजीवी/विधिक वारिस लॉकर का उपयोग जारी रखना चाहता/चाहते हैं तो बैंक नामिती (नामितियों)/उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/विधिक वारिस (वारिसों) के साथ एक नया करार कर सकते हैं तथा नामिती (नामितियों)/विधिक वारिस (वारिसों) के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का भी अनुपालन करना चहिए। बैंकों को लॉकर के किरायेदार सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु के जमाकर्ता के नामिती (नामितियों) तथा उत्तरजीवियों को वापस करते समय उनके पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये अथवा लॉकर में मिले हुए सील बंद/बंद पैकेटों को खोलने की आवश्यकता नहीं है।

परिचालनगत प्रणालियां/क्रियाविधियां

भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने पहले ही विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक आदर्श परिचालन क्रियाविधि (एमओपी) तैयार की है। रिज़र्व बैंक ने आइबीए को सूचित किया है कि वे विभिन्न परिस्थितियों में लॉकर तक पहुंच प्रदान करने/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं की वापसी के लिए एक समान आदर्श परिचालन क्रियाविधि तैयार करें। बैंकों को उक्त प्रयोजन के लिए एक सरल नीति/क्रियाविधियां तैयार करने की दृष्टि से अपने मृत ग्राहकों (लॉकर के किरायेदार/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं के जमाकर्ता) के दावों के निपटान से संबंधित अपनी वर्तमान प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। यह समीक्षा उनके बोर्ड के अनुमोदन से की जाए तथा उसे करते समय प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, पूर्वगामी अनुदेश तथा आइबीए द्वारा तैयार की गयी आर्दश परिचालन क्रियाविधि को ध्यान में लिया जाए।

ग्राहक मार्गदर्शन/प्रचार-प्रसार

बैंकों को नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खंड के लाभों का व्यापक प्रचार करना चाहिए तथा लॉकर के किरायेदारों/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं के जमाकर्ताओं को उसके संबंध में मार्गदर्शन देना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रचार सामग्री में इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संयुक्त खाता धारकों में से एक की मृत्यु होने पर, लॉकर में रखी वस्तुओं अथवा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं पर अधिकार जब तक कि उत्तरजीविता खंड न हो तब तक अपने आप उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता खाता धारक को अंतरित नहीं होता है।

बैंकों को लॉकर के मृत किरायेदार/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गयी वस्तुओं के जमाकर्ता के नामिती (नामितियों)/उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/विधिक वारिस (वारिसों) को लॉकर तक पहुंच/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तु प्रदान करने के लिए स्थापित नीतियों/क्रियाविधियों के साथ इन अनुदेशों को भी वेबसाइट पर रखना चाहिए। साथ ही, नामिती (नामितियों)/उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/विधिक वारिस (वारिसों) से दावा प्राप्त होने पर उक्त की एक मुद्रित प्रतिलिपि भी उनको दी जानी चाहिए।

बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि प्राधिकारियों को लॉकर की चाबियों के स्वामित्व को पहचानने में सुविधा हो इस दृष्टि से सभी लॉकर की चाबियों पर बैंक/शाखा की पहचान कूट संख्या एम्बॉस की जाती है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**